

प्रपत्र-2.2

PART-III

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना)

Proposal No.FP/UK/Others/FP/UK/Road/143929/2021

परियोजना का नाम-

मा० मुख्यमंत्री घोषणा सं० 797/2017 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र थराली के विकासखण्ड घाट के अन्तर्गत नन्दप्रयाग-घाट मोटर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुधारीकरण कार्य हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

1.	स्थल जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है। क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	हां। दिनांक 10.08.2021 मोटर मार्ग का निरीक्षण में पाया गया कि मार्ग वन संरक्षण अधिनियम 1980 से पूर्व की बनी हुई है, जो बहुत ही संकरी होने के कारण तथा जनता के सुगम यात्रा हेतु सड़क का चौड़ीकरण किया जाना अति आवश्यक है।
2.	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है?	सहमत, परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत बांज प्रजाति के 17 वृक्ष व 1341 वृक्ष अन्य प्रजाति के कुल 1358 वृक्ष परियोजना में प्रभावित हो रहे हैं।
3.	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	जनहित में संस्तुति की जाती है।

दिनांक 10/08/2021

स्थान Pauri

हस्ताक्षर

नाम (एन०एन०पाण्डेय)